न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या–1, कन्नौज।

CNR No–UPKJ010047052023

विशेष सत्र परीक्षण सं०–1107/2023

राज्य बनाम अन्जू गुप्ता

मु०अ०स०–85/2020

धारा–135 विद्युत अधिनियम 2003

थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज,जनपद कन्नौज।

दिनांक 28.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्ता **अन्जू गुप्ता** की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.03.2026 को प्रस्तुत करते हुए वाद का निस्तारण किए जाने की याचना की गयी है।

आधार व्यक्त किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। उसने विद्युत विभाग का बकाया समस्त रूपया जमा कर दिया है। उक्त मुकदमे से सम्बन्धित बकाया शेष नहीं रहा।

अधिशाषी अभियन्ता वि०वि०ख०(क०) की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। विशेष लोक अभियोजक यू०पी०पी०सी०एल० के द्वारा अपनी आख्या को अनुमोदित किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त अभियुक्ता नामित अभियुक्ता है, जिसके द्वारा विद्युत विभाग की समस्त धनराशि जमा की जा चुकी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता उपरोक्त को अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम 2003 में विचारण हेतु आहूत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज की गयी है कि अभियुक्ता द्वारा पूर्व में काटे गये संयोजन पुनः जोड़कर अवैध रूप से विद्युत चोरी करते पाया गयी।

उक्त अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त के द्वारा विद्युत विभाग से सम्बन्धित समस्त बकाया बिल का भुगतान किया जा चुका है तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा मुकदमा समाप्त करने के संदर्भ में कोई आपत्ति न होने का कथन भी अपनी आख्या दिनांकित 28.03.2026 में किया गया है, जिससे सम्बन्धित पत्रांक दिनांकित 28.03.2026 पत्रावली में संलग्न है, जिसकी पुष्टि विद्वान विशेष लोक अभियोजक यू०पी०पी०सी०एल० के द्वारा की गयी है।

इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **आपराधिक अपील सं० 156SLP (Cr.)संख्या 3670/2017 सुरेश गणपति हलवणकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओ० आर० एस०** में अभिव्यक्त किया गया अभिमत महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि "धारा 152 विद्युत अधिनियम के प्रावधान धारा 135 विद्युत अधिनियम के अधीन कारित किए गए अपराधों के संदर्भ में भी प्रभावी होंगे, क्योंकि उक्त अपराध भी विद्युत की चोरी से सम्बन्धित है, जो विद्युत मीटर को क्षति पहुंचाकर कारित किया जाता है। इस कारण धारा 135 विद्युत अधिनियम के अधीन कारित किए गए अपराध भी शमनीय प्रकृति के हैं।"

उक्त अभियोग धारा 152 विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानों तथा उपर्युक्त विधि व्यवस्था में अभिकथित अभिमत के अनुसार उक्त प्रकृति के अपराध शमनीय प्रकृति के होते हैं।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त आख्याओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 की उपधारा (3) के तहत अपराध को प्रशमित मानते हुए अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–1107/2023 राज्य बनाम अन्जू गुप्ता, मु०अ०स०–85/2020 धारा–135 विद्युत अधिनियम 2003, थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज,जनपद कन्नौज में अभियुक्ता **अन्जू देवी** को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 की उप–धारा (3) के तहत कारित अपराध को प्रशमित मानते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है, उसे तत्काल अवमुक्त किया जाए।

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश(वि०अधि०)

कक्ष सं०–1, कन्नौज।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.30 11:29:18 IST
Reason: APPLICATION DISPOSED
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ